

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 3162/2016 श्रीमती सुषमा देवी बनाम सरकार व अन्य में माननीय अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 11.11.2016 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 19.10.16(राउमावि मावता झुंझनु से राउमावि, बेगसर डीडवाना नागौर) को क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने कारण अपील में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन श्रीमती सुषमा देवी प्रधानाचार्य, राउमावि मावता झुंझनु के पद पर कार्यरत रहेंगे तथा स्थगन आदेश के प्रभावी रहने तक श्रीमती सुमन का पदस्थापन प्रधानाचार्य, राउमावि, राउमावि, बेगसर डीडवाना नागौर किया जाता है।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक— शिविरा/मा/संस्था/बी-2/अपील-3162/59/2016

दिनांक— 12/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

1. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक, कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु।
2. उप निदेशक (माध्यमिक) चूरू
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) नागौर / झुंझनु को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जयपुर
5. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा (बी-3/29920/एच/16 से 29957)
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित अधिकारी
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 19-10-2016 द्वारा श्री रमेश चन्द प्रधानाचार्य राउमावि बगड-राजपूत रामगढ जिला अलवर को रा0बालिका उमावि लक्ष्मणगढ जिला अलवर स्थानान्तरित किया गया था, जिस पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 3271/2016 श्री रमेश चन्द बनाम सरकार में माननीय अपील अधिकरण-जयपुर के आदेश दिनांक 11-11-2016 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 19-10-2016 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (श्री रमेश चन्द) के सम्बन्ध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने कारण अपील में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्री रमेश चन्द, प्रधानाचार्य रा.उ.मा वि, बगड राजपूत-रामगढ (अलवर) में एवं श्रीमती हेम शर्मा प्रधानाचार्य, रा0 बालिका उमावि, लक्ष्मणगढ जिला अलवर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहने सम्बन्धी आदेश दिनांक 02-01-2017 जारी किया गया था।

अपील अधिकरण-जयपुर में दायर अन्य अपील संख्या-117/2017 एवं उक्त अपील संख्या 3271/2016 को संयुक्त रूप से सुना जाकर, अपील अधिकरण के नवीनतम अन्तिम आदेशानुसार श्री रमेश चन्द की अपील संख्या-3271/2016 को खारिज किया गया है तथा श्रीमती हैम शर्मा की अपील संख्या-117/2017 को इस आशय के साथ निस्तारित किया गया है कि विभागीय स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 19-10-2016 से पूर्व की स्थिति को पुनर्स्थापित किया जावे। माननीय अपील अधिकरण के उक्त निर्णय के अनुक्रम में विभाग द्वारा जारी न्यायालय निर्णय के अध्याधीन कार्यरत रहने सम्बन्धी आदेश स्वतः से निष्प्रभावी हो जाता है। अतः सम्बन्धित कार्मिक माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार निम्नानुसार यथापूर्व स्थिति में पदस्थापित किए जाते हैं :-

क्रसं	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान
1	श्री रमेश चन्द, प्रधानाचार्य	रा.बालिका उमावि लक्ष्मणगढ जिला अलवर
2	श्रीमती हैम शर्मा, प्रधानाचार्य	राउमावि बगड-राजपूत रामगढ जिला अलवर

उक्तानुसार माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में तत्काल कार्यग्रहण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(बी0 एल0 स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/बी-2/अपील-3271/रमेश चन्द/2016 दिनांक - 12/04/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक, कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल करवाये जाने हेतु।
- 3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)।

- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 6 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
- 7 संबंधित संस्था प्रधान
- 8 संबंधित अधिकारी
- 9 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश दिनांक:-23.11.2016 द्वारा अरुण व्यास(दिव्यांग) प्रधानाचार्य राउमावि मेवाडा बिच्छीवाडा डूंगरपुर को राउमावि नूतन बॉसवाडा एवं श्री मॉवजी खॉट प्रधानाचार्य को राउमावि राउमावि नूतन बॉसवाडा से राउमावि मेवाडा बिच्छीवाडा डूंगरपुर समायोजन किया गया था ।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री मॉवजी खॉट ने माननीय अपील अधिकरण में अपील संख्या 3754/16 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक:- 09.12.2016 को उक्त आदेश के संबंध में स्थगन जारी किया । माननीय अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा दिनांक:- 4.01.2017 द्वारा अपील में जारी होने वाले आगामी/अंतिम आदेश के अध्यक्षीन श्री अरुण व्यास(दिव्यांग)को राउमावि मेवाडा बिच्छीवाडा डूंगरपुर एवं श्री मॉवजी खॉट को राउमावि नूतन बॉसवाडा में पदस्थापित किया गया ।

जिसके विरुद्ध श्री व्यास द्वारा श्री माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 48/2017 दायर की गई ।

माननीय अधिकरण ने उक्त दोनों अपीलों में दिनांक:- 16.2.2017 को समेकित निर्णय जारी किया है । उक्त निर्णय में अपील संख्या 3754/16 को खारिज करते हुए अपील में जारी स्थगन को वैकैट किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिये है कि पूर्व स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.11.2016 के अनुसार स्थिति को पुनर्स्थापित किया जावे ।

माननीय अधिकरण ने उक्त दोनों अपीलों में दिनांक:- 16.2.2017 को समेकित निर्णय जारी किया है । अतः निर्णय की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक:- 4.01.2017 को प्रत्याहरित किया जाता है इसी अनुरूप इस कार्यालय के आदेश दिनांक:- 23.11.2016 के अनुसार अपीलार्थी अरुण व्यास(दिव्यांग) प्रधानाचार्य राउमावि नूतन बॉसवाडा एवं अपीलार्थी श्री मॉवजी खॉट प्रधानाचार्य राउमावि मेवाडा बिच्छीवाडा डूंगरपुर पदस्थापित रहेंगे ।

संबंधितों को पाबन्द किया जाता है कि माननीय अधिकरण के निर्णयान्तर्गत जारी निर्णयानुपालना आदेश की पालना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करें ।


(बी.एल.स्वर्णकार)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 12/08/2017

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/बी-1/अपील सं0 3754/51/16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

1. उप निदेशक (माध्यमिक) उदयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बॉसवाडा/डूंगरपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी विधि जयपुर
4. प्रधानाचार्य राउमावि नूतन बॉसवाडा /राउमावि, मेवाडा बिच्छीवाडा डूंगरपुर
5. अरुण व्यास प्रधानाचार्य राउमावि मेवाडा बिच्छीवाडा डूंगरपुर
6. श्री मॉवजी खॉट प्रधानाचार्य राउमावि नूतन बॉसवाडा
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा(29988/आई/16)
8. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 13981/2016 श्री दिनेश दाधीच, प्रधानाध्यापक बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय-जोधपुर के आदेश दिनांक 11.11.2016 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 20-10-2016 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (श्री दिनेश दाधीच) के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने के कारण, अपील में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्री दिनेश दाधीच, प्रधानाध्यापक, रा. मा वि, कोतवाली, जोधपुर में एवं श्रीमती ज्योति भाटी, प्रधानाध्यापक रामावि, अभयगढ-शेरगढ जिला जोधपुर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रहेंगे।



(बी0 एल0 स्वर्णकार)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/बी-1/याचिका-13981/दिनेश दाधीच/2016 दिनांक - 12/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक, कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु।
- 3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जोधपुर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त प्रकरण में प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 6 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
- 7 संबंधित संस्था प्रधान
- 8 संबंधित अधिकारी
- 9 निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर